



Date of order of Proceeding	Order With Signature of The Court	Office Action take with Date
1	2	3
25/9/19	<p style="text-align: center;">न्यायालय:- भूमि सुधार उप समाहर्ता, श्री बंशीधर नगर।</p> <p style="text-align: center;">भू-हदबंदी वाद सं० 02/2019-20</p> <p style="text-align: center;">सरिता देवी, वगै० बनाम् प्रमिला देवी, वगै०</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के आवेदन पत्र में केवाला सं० 234 दिनांक 15.02.2019 ई० से कय की गई भूमि ग्राम-मकरी, थाना न०-17, खाता संख्या 58 पुराना 509 नया, प्लॉट संख्या 1741 पुराना, 4431 नया, रकबा 0.11¼ डी०, खाता संख्या 72 पुराना, 509 नया, प्लॉट संख्या 1742 पुराना, 4433 नया, रकबा 0.11¼ डी० चौहदी उ०-अशोक कुमार यादव वगै०, द०-बैजनाथ साह, पु०-धनजय साह और सरीता देवी प०-मुखलाल साह खाता संख्या 31 पुराना, 331 पुराना, प्लॉट संख्या 1740 पुराना, 4429 नया, रकबा 0.09¾ डी कुल रकबा 0.32¼ डीसमील चौहदी उ०-अशोक कुमार यादव वगै०, द०-बैजनाथ साह, पु०-धनजय साह और सरीता देवी प०-मुखलाल साह दर्ज है। आवेदक बिहार लैंड सिलिंग एक्ट 1961 की धारा 16 (3) के तहत Right Of Pre-Emption के तहत दावा पेश करने का विवरण दर्ज किया है। आवेदक प्रश्नगत केवाला में वर्णित भूमि के बगलगीर रैयत हैं। उस तथ्य की पुष्टि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र की कम सं० 2 में अपनी भूमि के विवरण द्वारा स्पष्ट किया है। प्रश्नगत केवाला की चौहदी में आवेदक बगलगीर रैयत हैं। उसी आधार पर आवेदक ने उक्त केवाला में वर्णित नियम एवं शर्तों के तहत प्रश्नगत केवाला की भूमि को अपने पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु इस न्यायालय में आवेदन दिया है।</p> <p>विपक्षी केता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित जबाब किया गया है। विपक्षी केता के विरुद्ध नोटिस अनुचित एवं अवैध है। आवेदिका के द्वारा नाहक तंग करने वो परेशान करने के उद्देश्य से यह गलत कार्रवाई प्रारम्भ कराया गया है। वास्तविक यह है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी केता के द्वारा निबंधित विक्रय पत्र संख्या 234 दिनांक 15.02.19 से कय किया गया है एवं दखल कब्जे में है। प्रश्नगत प्लॉट एवं उसके सटे विपक्षी केता के पिता बटवारे के भूमि प्राप्त है जिसे विपक्षी केता के पिता ने विपक्षी केता को दे दिया है। भूलवश केवाला की चौहदी में देना छुट गया है। विपक्षी केता प्रश्नगत भूमि की सटे सह- हिस्सेदार एवं चौहदीदार रैयत दोनों है इसलिए विपक्षी केता पर धारा 16(3) लागु नहीं होगा। विपक्षी केता प्रश्नगत भूमि की सह- हिस्सेदार एवं चौहदीदार रैयत है तो उसे सिलिंग दायर नहीं करना चाहिए। अपने कथन के प्रमाण में विपक्षी ने पंचायती बंटवारा का कागज एवं एक सरकारी मालगुजारी रसीद दाखिल किए हैं।</p> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने आवेदन-पत्र के साथ केवाला सं०-234 दिनांक 15.02.2019 की केवाला को अभिप्रमाणित प्रति एवं उक्त केवाला के मूल जरसमन की राशि एवं उसकी 10 प्रतिशत राशि का चालान एवं पोस्टल रसीद दाखिल किए हैं। बिहार लैंड सिलिंग एक्ट 1961 की धारा 16 (3) में यह स्पष्ट प्रमाण है कि कोई भी बगलगीर रैयत या सह-हिस्सेदार बिक्री की गई भूमि पर Right Of Pre-Emption के तहत दावा पेश कर सकता है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि इस वाद में भी केवाला सं०- 234 दिनांक 15.02.2019 में प्रश्नगत भूमि के पूर्वी चौहदी में आवेदक एवं आवेदिका के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि विपक्षी केता का नाम उक्त प्लॉट की किसी भी चौहदी में नहीं है।</p>	



अतः आवेदक का Right Of Pre-Emption का दावा सही प्रतीत होता है। आवेदक का Right Of Pre-Emption का दावा सही है। अतः आवेदक का आवेदन-पत्र स्वीकृत किया जाता है एवं विपक्षी क्रेता को यह आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के अन्दर केवाला सं० 234 दिनांक 15.02.2019 में वर्णित भूमि का हस्तांतरण आवेदक के पक्ष में निबधित दस्तावेज द्वारा कर दें।

लेखापित एवं संशोधित।


25/9/19
उप समाहर्ता भूमि सुधार
श्री बंशीधर नगर ।


25/9/19
उप समाहर्ता, भूमि सुधार
श्री बंशीधर नगर।